प्रेस नोट दिनांक 06.01.2025
थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

थाना इज्जतनगर #bareillypolice द्वारा फर्जी तरीके से दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 05.01.2025 को यू०पी०सी०एस०सी०आर० की परीक्षा एन0टी0ए0 द्वारा पद्यमावती अकेडमी मुडिया अहमदनगर पीलीभीत रोड जनपद बरेली पर आयोजित की गयी। परीक्षा की दूसरी पाली में अभ्यर्थी विशान्त पुत्र इन्दल सिंह निवासी शिकार गाह धनुपुरा रामपुर उ0प्र0 के स्थान पर दूसरा व्यक्ति उत्तम कुमार पुत्र अरविन्द यादव निवासी ग्राम फिरंगी बीघा थाना शेखपुरा जनपद शेखपुरा बिहार परीक्षा देता हुआ पाया गया। बायोमैट्रिक एंव स्मार्ट वैरिफिकेशन ऐप के माध्यम से उक्त की जानकारी होने पर केन्द्र व व्यवस्थापक ममता सक्सैना प्रधानाचार्य पद्यमावती अकेडमी द्वारा उत्तम कुमार उपरोक्त को छल पूर्वक प्रतिरूपण करके परीक्षा अधिनियम का उल्लंघन करते पाया जाने पर तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 015/25 धारा 319 (2)/318 (4) बीएनएस व धारा 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 बनाम उत्तम कुमार आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उत्तम कुमार को परीक्षा देते हुए मौके से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण पूछताछः-अभियुक्त से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विशान्त पुत्र इन्दल सिंह उपरोक्त द्वारा उत्तम कुमार को अपने स्थान पर रुपये का लालच देकर अपने स्थान पर परीक्षा देने के लिए भेजा था। अभियुक्त विशान्त उपरोक्त के संबंध में अभियुक्त से पूछताछ कर विस्तृत जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-उत्तम कुमार पुत्र अरविन्द यादव निवासी ग्राम फिरंगी बीघा थाना शेखपुरा जनपद शेखपुरा बिहार ।

आपराधिक इतिहासः-मु0अ0सं0 015/25 धारा 319 (2)/318 (4) बीएनएस व धारा 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1.प्रभारी निरीक्षक श्री विजेन्द्र सिंह थाना इज्जतनगर बरेली ।
2.उ0नि0 श्री जावेद अली थाना इज्जतनगर बरेली
3.का0 216 विशाल थाना इज्जतनगर बरेली ।
4.कां0 323 धनीष थाना इज्जतनगर बरेली |